न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 07 / 2026
जी.सी.एम.एस नं. : 2026 / 8

राजस्थान राज्य जरिये श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– श्री फतेह सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी तिलवटो का बास, घेवरा, जोधपुर (विक्रेता / मालिक) मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, टिमेडा बडा, कुशलगढ, बांसवाडा।

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28–04–2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रक़ार है कि **श्री उम्मेदमल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **16–01–2026** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **09–10–2024** को **3.05 पी.एम.** बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, टिमेडा बडा, कुशलगढ, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री फतेह सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री कल्याण सिंह** उपस्थित थे। **विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, टिमेडा बडा, कुशलगढ, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर परिसर में **खाद्य पदार्थ कलाकन्द एक स्टील की ट्रे में शोकेस में 3 किलो** रखा पाया। जिसको एफ.एस.एस.ए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **खाद्य पदार्थ कलाकन्द 2 किग्रा** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 800/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **खाद्य पदार्थ कला[illegible] सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारो में बराबर बराबर मात्रा में भ[illegible] प्रीजरवेटीव फार्मलिन की 40–40 बुन्दे डालकर, चार न[illegible]येक भाग** पर तैयार [illegible]गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अ[illegible]कारी, बॉसवाडा का [illegible] क्रमांक **W-1921** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:33 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/485 दिनांक 13–11–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1189 दिनांक 22–10–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ कलाकन्द** का नमुना कोड क्रमांक **W-1921** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **खाद्य पदार्थ कलाकन्द** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 16–01–2026 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

28–04–2026 को अप्रार्थी के पुत्र श्री गोविन्द सिंह ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि मेरे पिताजी का पैर फ्रेक्चर हो जाने व स्वास्थ्य खराब होने व जोधपुर दुर होने के कारण कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ है इसलिये मै उनका पुत्र होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर रहा हूँ व जुर्माना भरने हेतु तत्पर हुँ। इस बाबत् शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। अप्रार्थी की ओर से उनके पुत्र श्री गोविन्द सिंह ने परिवाद में अंकित आरोपो को स्वीकार कर नरमी का रुख अपनाते हुए जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अप्रार्थी की ओर से उनके पुत्र श्री गोविन्द सिंह ने जुर्म स्वीकरोक्ति प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए परिवाद में अंकित आरोपो को स्वीकार किया गया है अतः अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:33 IST
Reason: Self Attested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2024 / 485 दिनांक 13–11–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1189 दिनांक 22–10–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ कलाकन्द** का नमुना कोड क्रमांक **W-1921** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस प्रकार प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत Substandard **ाद्य पदार्थ कलाकन्द** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री फतेह सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी तिलवटो का बास, घेवरा, जोधपुर (विक्रेता / मालिक) मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, टिमेडा बडा, कुशलगढ, बांसवाडा को 25,000 / – (अक्षरे रू पच्चीस हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 28–04–2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बासवांड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:33 IST
Reason: SelfAttested